Title : Need to implement reservation in jobs for OBC's in higher posts in academic institutions like IIT's IIF and AIIMS.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विय की ओर आप का ध्यान आकृट करना चाहता हूं। आज इस देश में अन्य पिछड़े वर्ग के 54 प्र ातिशत लोग हैं और खासकर आज सत्ता की असली चाबी शिक्षा है और आज के सूचना और तकनीकी के युग में पिछड़े वर्गों को या दलित वर्गों या पिछड़े अल्पसंख्यक हों, उनके पास यदि शिक्षा नहीं होगी, उच्च शिक्षा नहीं होगी तो उस समुदाय के लोगों को रोजगार का कोई अवसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम इस सवाल को उठा रहे हैं। आज जितनी उच्च शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आज एक सवाल पर सुबह ही चर्चा हुई, वह अलग सवाल है जो अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते परिस्थिति उत्पन्न हुई है और सामान्य रूप से भी अभी तक मंडल कमीशन के तहत जो 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में, चाहे आईआईटी हो, आईएमटी हो, चाहे एम्स हो, कहीं नहीं है। आरक्षण लागू ही नहीं हुआ है, इम्पलीमेंट नहीं हुआ है। कार्मिक विभाग के जरिए परिपत्र निकाल कर इसके इम्प्लीमेंट्रेशन में इस तरह की जटिलता अपनाई गई है कि आज तक धरती पर यह 27 प्रतिशत आरक्षण उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आईआईटी में तकनीकी संस्था में या आईएमआईटी या एम्स में आरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पाया है। इसलिए मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि पिछड़े वर्गों को अभी भी शिक्षण संस्था या तो पिछड़ों को शिक्षा संस्थाएं खोलने की अनुमति दी जाए अन्यथा इसका समावेश कैसे होगा? आज इस सवाल पर दूसरी दृटि से हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन मैं यह कहूंगा कि निजी क्षेत्रों में भी ओबीसी लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए और निजी क्षेत्र का मतलब जो प्राइवेट क्षेत्र हैं, वहां आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए मैं खास तौर से मण्डल आयोग की सिफारिशों के तहत इस बात को उठा रहा हूँ क्योंकि जो क्रीमी लेयर की बात है संविधान के तहत नहीं है, अभी एक वि धेयक भी आने वाला है और स्टैण्डिंग कमेटी से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट आई है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्रीमी लेयर आय सीमा जो इन्कम लेवल लगाया गया है, उस पर संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16 (4) के तहत जो शैक्षणिक और सामाजिक दृटिकोण से पिछड़े हुए हैं, वे पिछड़े वर्ग में आते हैं। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको विशे अवसर देने का प्रावधान भारतीय संविधान में है। संविधान की मंशा के विपरीत यह लाया गया है। इसमें निश्चित रूप से लेजिस्लेशन तो आए ही, मैं यह भी मांग करता हूँ कि सदन में इसी सत्र में एक विधेयक लाकर इस क्रीमी लेयर को, क्योंकि जो लड़के पढ़ेंगे ही नहीं उनको कैसे 27 प्रतिशत आरक्षण मिल पाएगा, क्रीमी लेयर को जब संविधान ने आर्थिक आधार ही नहीं माना है, संविधान ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर विशे अवसर का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

इसलिए संविधान की मूल स्पिरिट के विपरीत जो इस तरह का वर्डिक्ट दिया गया है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय हमारे संसदीय कार्य में हमेशा हस्तक्षेप करके नई परिपाटी शुरू कर रहा है। यह नया फैशन हो गया है। अपनी सीमाओं को लांघ कर देश में नई परिस्थिति पैदा की जा रही है, जो राट्रीय स्तर पर एक चिन्ता का विय है। भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सब की सीमाएं सुनिश्चित की गई है। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, there is a Bill with regard to this matter and the Standing Committee is considering it. It is being repeated. What you are saying is the same as the Bill. Please conclude.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इससे संबंधित बिल पर आगे बात होगी। उच्च श्रेणी की नौकरियों में 27 परसैंट आरक्षण कैसे होगा? शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं में यदि आरक्षण नहीं है तो उन्हें नौकरियों में कैसे अवसर मिलेगा? मंडल कमीशन के तहत सभी शैक्षणिक संस्थाओं में 27 परसैंट आरक्षण का प्रावधान है। आबादी के आधार पर 54 परसैंट लोगों का रिजर्वेशन सुनिश्चित किया जाए।